

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1642

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुण, 1941 (शक्र) को दिया जाना है)

एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी राजस्व

1642. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन के बाद से आंध्र प्रदेश राज्य में सृजित एमजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी राजस्व का माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उपरोक्त सृजित राजस्व में से एमजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी-वार आंध्र प्रदेश का हिस्सा कितने प्रतिशत है;
- (ग) जीएसटी कार्यान्वित होने के बाद से आंध्र प्रदेश को वापस किए गए राजस्व का माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) कम राजस्व सृजित होने की स्थिति में मंत्रालय राज्य को क्षतिपूर्ति किस प्रकार करेगा और क्या फरवरी, 2020 तक राज्य को कुल कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो राज्य को भुगतान की जाने वाली शेष राशि का ब्यौरा क्या है और यह भुगतान कब तक किया जाना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख) और (ग) : जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद आंध्रप्रदेश राज्य से सृजित तथा आंध्रप्रदेश राज्य को वापिस किए गए एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी राजस्व का माह वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ.) जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को द्विमासिक आधार पर क्षतिपूर्ति जारी की जा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमानित जीएसटी उपकर संग्रहण तथा पूर्ववर्ती वर्षों (2017-18 और 2018-19) से पूल में उपलब्ध उपकर के अप्रयुक्त बकाया को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए 1,21,200 करोड़ रु. के संशोधित बजट का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, आंध्रप्रदेश राज्य को अप्रैल- दिसंबर 2019 के लिए पूरी तथा अक्टूबर- नवम्बर 2019 के लिए आंशिक रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंध्रप्रदेश को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि जिसके लिए क्षतिपूर्ति जारी की गई है	राशि (करोड़ में रु.)
अप्रैल- मई, 2019	0
जून-जुलाई, 2019	529
अगस्त- सितम्बर , 2019	925
अक्टूबर- नवम्बर , 2019	387*
कुल	1841

*अक्टूबर-नवम्बर 2019 हेतु बकाया 682 करोड़ रु. की तुलना में 387 करोड़ रु. जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किए गए हैं।

लोकसभा के दिनांक 2.03.2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 1642 का अनुबंध

सृजित तथा वापस किया गया सकल जीएसटी राजस्व – आंध्रप्रदेश

करोड़ रु. में

माह	एसजीएसटी	सीजीएसटी	आईजीएसटी*	कुल	आईजीएसटी समाधान के पश्चात एसजीएसटी	%प्रतिशत (ड/घ)
	क	ख	ग	घ	ङ	च
जुलाई'17	2.59	2.60	4.32	9.52	2.59	27%
अगस्त '17	660.89	448.07	755.96	1,864.92	1047.30	56%
सितम्बर '17	634.92	428.46	718.73	1,782.11	1163.01	65%
अक्टूबर'17	701.86	435.16	670.84	1,807.86	1392.25	77%
नवम्बर'17	588.89	389.38	669.29	1,647.57	1226.74	74%
दिसम्बर'17	572.87	390.48	608.72	1,572.07	1209.83	77%
जनवरी'18	713.84	489.06	697.32	1,900.22	1477.69	78%
फरवरी'18	581.44	415.89	742.90	1,740.23	1965.62	113%
मार्च'18	618.97	445.98	783.06	1,848.01	1341.33	73%
2017-18	5,076.29	3,445.09	5,651.13	14,172.51	10,826.35	76%
अप्रैल'18	812.46	529.43	883.39	2,225.28	1638.23	74%
मई'18	689.92	488.45	762.84	1,941.21	1345.51	69%
जून'18	668.17	460.33	780.49	1,908.99	2257.78	118%
जुलाई'18	723.34	483.57	776.03	1,982.94	1560.06	79%
अगस्त'18	646.09	448.51	777.33	1,871.93	1570.00	84%
सितम्बर '18	692.61	493.36	808.7	1,994.67	1500.21	75%
अक्टूबर 18	786.62	548.33	856.43	2,191.38	2065.06	94%
नवम्बर '18	741.88	528.97	858.34	2,129.19	1649.23	77%
दिसम्बर '18	697.53	503.75	831.58	2,032.86	1790.21	88%
जनवरी'19	785.8	538.51	811.71	2,136.02	1612.57	75%
फरवरी'19	740.28	536.88	795.66	2,072.82	1685.02	81%
मार्च'19	912.22	671.84	987.55	2,571.61	2072.22	81%
2018-19	8,896.92	6,231.93	9,930.05	25,058.90	20,746.10	83%
अप्रैल'19	924.03	677.65	924.13	2,525.81	2060.80	82%
मई'19	776.9	528.4	797.92	2,103.22	1605.26	76%
जून'19	760.43	538.82	898.66	2,197.91	1630.22	74%
जुलाई'19	746.63	514.29	847.83	2,108.75	1944.81	92%
अगस्त '19	700	499.97	892.84	2,093.09	1481.49	71%
सितम्बर '19	660.46	473.74	746.16	1,880.36	1507.27	80%
अक्टूबर '19	656.57	470.07	716.4	1,843.04	1424.97	77%
नवम्बर '19	767.3	496.73	746.75	2,010.78	1766.13	88%
दिसंबर '19	768.81	540.13	719.76	2,028.70	1583.33	78%
जनवरी '20	860.74	609.78	776.19	2,246.71	1824.11	81%
2019-20	7,622.15	5,349.58	8,066.64	21,038.37	16,828.38	80%

*माल के आयात पर आईजीएसटी के अलावा